प्रो० प्रदीप कुमार मिश्र
कुलपति
Prof. Pradeep Kumar Mishra
Vice Chancellor

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Dr. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY
Uttar Pradesh, Lucknow

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव, डॉ0 नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्रेषित पत्र मिसिल सं0–13–1/2018(सीपीपी–1/पीयू) पार्ट फाइल, दिनांक 21 नवम्बर 2022 के माध्यम से, इस पत्र के साथ संलग्न शिकायती प्रार्थना पत्र में उठाये गये सभी मुद्दों पर विस्तृत विवेचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त निर्देश के क्रम में डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना पत्रों में उल्लिखित तथ्यों एवं अन्य संबंधित प्रकरणों की जॉच करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:–

1. जस्टिस श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद — अध्यक्ष
2. श्री संजय, माननीय प्रधान न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) — सदस्य
3. प्रो0 जी0एस0 तोमर, निदेशक, आर0ई0सी0, सोनभद्र — सदस्य
4. श्री रंजीत सिंह, सहायक कुलसचिव, अ0क0प्रा0वि0 — प्रस्तोता अधिकारी

उपरोक्त समिति सभी सन्दर्भित प्रकरणों की जॉच कर आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

कुलपति कार्यालय

पत्रांक:अ0क0प्रा0वि0/कुप0का0/2023/12968 दिनांक : 01.02.2023

प्रदीप कुमार मिश्र 1/2/23
(प्रो0 प्रदीप कुमार मिश्र)
कुलपति

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समिति के समस्त मा0 सदस्यगण को सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. श्री रंजीत सिंह, प्रस्तोता अधिकारी को अनुपालनार्थ।
4. डॉ0 नरेश कुमार शर्मा, अवर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनके पत्र दिनांक 21.11.22 के क्रम में सादर सूचनार्थ।

प्रदीप कुमार मिश्र 1/2/23
(प्रो0 प्रदीप कुमार मिश्र)
कुलपति